

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद धुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक: “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292-अ]

रायपुर,, मंगलवार,, दिनांक 9 सितम्बर, 2008 – भाद्र 18, शक 1930

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन जी.ई. रोड रायपुर –492001

दूरभाष क्र. 771-5073555, फैक्स 5073553

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर, 2008

क्र. 22/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2008 –ग्रिड कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता या उपभोक्ता जो राज्य ग्रिड से जुड़ना चाहते हैं अथवा वे जो पूर्व से संयोजित हैं, के लिये कनेक्टीविटी की शर्तें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता, 2007 में उपलब्ध हैं। लाईसेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (छ.रा.वि. मं.) एवं केप्टिव जनरेटिंग प्लांट सहित जनरेटर्स, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता, 2007 में उल्लेखित कनेक्टीविटी के कुछ शर्तों के अनुपालन में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। इसलिये संहिता में कनेक्टीविटी के संबंध में वर्तमान उपबंधों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

तदनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (एच) सहपठित 181 (जेडपी), के अंतर्गत विहित एवं इस हेतु सशक्त करने वाली अन्य शक्तियों का उपयोग करते हुये, विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्व प्रकाशन के पश्चात, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता, 2007 को संशोधित करने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रवर्तन

- (i) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता (प्रथम संशोधन), 2008 कहलायेंगे।
- (ii) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता, 2007 (इसके आगे यथा प्रधान संहिता संदर्भित होगा) के खण्ड 4.1.1 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :-

“4.1.1 जनरेटिंग केन्द्र : वह वोल्टेज जिस पर किसी जनरेटिंग केन्द्र को ग्रिड के साथ जोड़ा जा सकता है, 400, 220, 132 या 33 के.वी. होगी। कनेक्शन पाइंट/इंटरफेस पाइंट, लायसेंसी के सिस्टम के सब स्टेशन पर वह बिन्दु होगा, जहां पॉवर इन्जेक्ट किया जाता है। मीटरिंग पाइन्ट, कनेक्शन पाइंट/इंटरफेस पाइंट होगा।

इन्जेक्टेड पॉवर की मात्रा के संदर्भ में ग्रिड में पॉवर इन्जेक्शन हेतु निर्धारित वोल्टेज निम्नानुसार है :-

क्रमांक	इन्जेक्शन वोल्टेज	ग्रिड में इन्जेक्टेड पॉवर की मात्रा
1.	33 केवी	15 एमवीए तक
2.	132 केवी	15 एमवीए से अधिक तथा 75 एमवीए प्रति सर्किट तक
3.	220 केवी	75 एमवीए से अधिक तथा 200 एमवीए प्रति सर्किट तक
4.	400 केवी	200 एमवीए प्रति सर्किट से अधिक

- टीप- (i) एमवीए में इन्जेक्टेड पॉवर की मात्रा तक पहुंचने के लिये नामपट्टिका या जनरेटर के डिजाईन डिटेल्स में दर्शित पॉवर फैक्टर को ध्यान में रखा जावेगा ।
- (ii) विशेष बाध्यकारी परिस्थितियों में लाईसेंसी द्वारा, तकनीकी संभावनाओं तथा आयोग के अनुमोदन की शर्त पर, उपरोक्त सीमा में मामूली फेरबदल पर विचार किया जा सकता है। जनरेटर/केप्टिव जनरेटर के अनुरोध पर ऊपर वर्णित से उच्चतर वोल्टेज पर कनेक्टिविटी की जा सकती है।”

3 प्रधान संहिता के खण्ड 4.1.2 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :

“4.1.2 केप्टिव जनरेटर संयंत्र (सीजीपी) सहित समस्त नये जनरेटिंग केन्द्र जिनके पास 15 एमवीए से अधिक निर्यात व/अथवा ड्राल रिक्वायरमेंट हैं उनके अपने लागत एवं व्यय पर तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन निम्न में से किसी तरीके पर ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी होगी :-

- (i) समर्पित ईएचवी ट्रांसमिशन लाईन के द्वारा निकटतम ईएचवी उप केन्द्र पर ।
- (ii) समर्पित ईएचवी ट्रांसमिशन लाईन के साथ पूल्ड/स्वीचिंग/लोड केटरिंग/स्टेप अप ईएचवी उपकेन्द्र पर ।
- (iii) गैस इंस्युलेटेड सब स्टेशन (जी.आई.एस.) नियंत्रण एवं मीटरिंग प्रणाली के अधीन किसी कॉमन पूल्ड ई.एच.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन के साथ व्यक्तिगत कनेक्टिविटी द्वारा किसी ई.एच.व्ही. सब स्टेशन पर। तथापि यह मोड केवल ऐसे जनरेटिंग स्टेशन/सी.जी.पी. को उपलब्ध होगा, जिनकी इन्जेक्शन या ड्राल रिक्वायरमेंट 35 एम.व्ही.ए. से अधिक न हो।”

4 प्रधान संहिता के खण्ड 4.1.3 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा:

“4.1.3 15 एमवीए तक इन्जेक्शन तथा /अथवा ड्राल की आवश्यकता वाले केप्टिव जनरेटिंग संयंत्र सहित समस्त नये जनरेटिंग संयंत्र को ग्रिड के साथ निम्नलिखित में से किसी भी मोड के अंतर्गत, तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन, अपनी लागत पर कनेक्टिविटी मिलेगी:-

- (i) समर्पित 33 केवी लाईन से निकटतम ईएचवी उक्त केन्द्र पर ।
- (ii) समर्पित 33 केवी लाईन से निकटतम 33/11 केवी उपकेन्द्र पर ।
- (iii) समर्पित 33 केवी लाईन से 33 केवी स्वीचिंग अथवा पूलिंग उपकेन्द्र पर।”

5 प्रधान संहिता के खण्ड 4.1.4 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :

“4.14 केप्टिव जनरेटिंग संयंत्र सहित समस्त विद्यमान उत्पादन संयंत्र खण्ड 4.1.2 और 4.1.3 में विहित मोड के अतिरिक्त अन्य मोड्स पर ग्रिड से जुड़े होने की स्थिति में अधिकतम 31.03.2009 तक खण्ड 4.1.2/4.1.3 में दिए गए विकल्पों के अनुसार ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा न होने की दशा में उनकी कनेक्टिविटी, ग्रिड से विच्छेदित किये जाने योग्य होगी।

परन्तु, उपयुक्त मामलों में आयोग द्वारा समय सीमा शिथिल की जा सकेगी, जहां वह ऐसी छूट के लिए बताये गये आधारों से संतुष्ट हो।

तकनीकी व्यवहार्यता होने पर ही पूलिंग की अनुमति दी जावेगी। ट्रांसमिशन लाईन, स्वीचिंग/लोड केंटरिंग/स्टेपअप उपकेन्द्र अथवा कोई अन्य उपकरण/ इन्फ्रास्ट्रक्चर (जिसमें वास्तविक समय डाटा अंतरण/कम्यूनिकेशन के लिए सुविधा भी सम्मिलित है) जैसे संयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत, जैसा भी प्रकरण हो, ग्रिड में अपने-अपने पॉवर इन्जेक्शन अनुपात में कान्सटिट्यूएन्ट जनरेटर/सीजीपी वहन करेंगे।

विद्यमान जनरेटिंग संयंत्र जो वर्तमान में खण्ड 4.1.2 तथा 4.1.3 के अंतर्गत नहीं आते वे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के लोड शेडिंग प्लान, जब और जैसे भी लागू होगा, के अधीन होंगे, जब तक कि उनकी कनेक्टिविटी खण्ड 4.12 अथवा 4.13, जैसा भी प्रकरण हो, के अनुसार न हो जाये।

लायसेंसी और उत्पादन संयंत्र/केप्टिव उत्पादन संयंत्र केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अन्य सभी सुसंगत विनियमों एवं संहिता से बंधित होंगे।”

6. प्रधान संहिता के खण्ड 4.11.1 की तालिका का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :

वोल्टेज श्रेणी	टॉरगेट फाल्ट क्लीयरेंस टाइम
400 केवी और उससे अधिक	80 मिली सेकण्ड
220/132 केवी	160 मिली सेकण्ड

7. प्रधान संहिता के खण्ड 5.3 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा:

“ 5.3 प्रचालनीय प्रयोजन हेतु मांग का अनुमान :

एसएलडीसी प्रचालनीय प्रयोजन हेतु, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक मांग अनुमान (एमडब्लू, एमव्हीएआर व एमडब्लूएच) के लिए मेथोडोलाजीस/ मेकेनिज्म विकसित करेगा। अनुमान के लिए डाटा में लोड शेडिंग, पावर कट्स और सुसंगत समयावधि के दौरान विद्युत की आपूर्ति/खपत में अन्यथा लगाये गये कोई प्रतिबंध, इत्यादि भी सम्मिलित होंगे,

जिसके आधार पर मांग का अनुमान किया जाता है। मांग अनुमान के लिए ऐतिहासिक डाटा बेस भी एसएलडीसी रखेगा। ये मांग अनुमान एसएलडीसी को प्रचालनीय नियोजन के उद्देश्य से प्रणाली का अध्ययन संचालित करने योग्य बनाते हैं।”

8. प्रधान संहिता के खण्ड 8.7.32 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :

“8.7.32 मीटरिंग प्रणाली एसी अथवा डीसी सहायक आपूर्ति से ऑपरेट करेगी तथा अपने ऑपरेशन के लिये मेजरमेन्ट पीटी लोड नहीं करेगी। आंतरिक डी.सी. बैटरी, जो मीटर का अभिन्न अंग है, अथवा मीटर में लगी कैपेसिटर डिवाइस का उपयोग सहायक आपूर्ति के लिये किया जाना चाहिये।”

9. प्रधान संहिता के खण्ड 8.8.2 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :

“8.8.2 मीटरिंग के लिये या तो समर्पित सीटी/वीटी सेट अथवा समर्पित करंट ट्रांसफार्मर का कोर उपलब्ध कराना होगा और जहां कहीं संभव हो, मुख्य मीटर तथा चेक मीटर के लिए अलग-अलग सीटी (अथवा उनके कोर) होना चाहिये। मौके पर अथवा प्रयोगशाला में सीटी/वीटी के त्रुटि की जांच की जायेगी। एनएबीएल प्रयोगशाला अथवा एनएबीएल द्वारा मान्य प्रयोगशाला द्वारा केलिब्रेटेड टेस्टिंग उपकरण का उपयोग करते हुये सीटी/वीटी की जांच की जानी चाहिये।”

10. प्रधान संहिता के खण्ड 8.8.4 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :

“8.8.4 मीटरिंग के लिये या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर (ईवीटी) अथवा कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी) का उपयोग किया जा सकेगा। सामान्यतः ईवीटी अथवा सीवीटी को कव्हर करने के लिए वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी) का उपयोग किया जाता है। प्रति फेज, सेकण्डरी वोल्टेज 100/ 3 वोल्ट होना चाहिये। वीटी की सुरक्षा के लिये एमसीबी, आदि जैसे उपयुक्त उपकरणों का ही उपयोग किया जाना चाहिये।”

11. खण्ड 8.8.5 की तालिका ए.बी.सी.डी. व ई. का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :

(i) तालिका ए के क्रमांक 4, क्रमांक 8 (ए) व (सी) का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा:-

क्र.	विवरण	11 केवी	33 केवी	132 केवी	220 केवी
4.	मानक सीटी अनुपात	2000 या 1000 / 1-1	800 या 400 / 1-1	800 या 400 / 1-1	1200 या 600 / 1-1-1-1
		1600 या 800 / 1-1	600 या 300 / 1-1	400 या 200 / 1-1-1	800 या 400 / 1-1-1-1
		1200 या 600 / 1-1	400 या 200 / 1-1	200 या 100 / 1-1-1	
		800 या 400 / 1-1	300 या 150 / 1-1	100 या 50 / 1-1-1	
		600 या 300 / 1-1	100 या 50 / 1-1		
		400 या 200 / 1-1			
		300 या 150 / 1-1			
		150 या 75 / 1-1			

8.	सीटी करेक्टरिस्टिक				
ए.	रेटेड प्रायमरी करेंट (एम्पी.)	2000 या 1000	800 या 400	400	800
		1600 या 800	600 या 300	200	
		1200 या 600	400 या 200	100	
		800 या 400	300 या 150	50	
		600 या 300	100 या 50		
		400 या 200			
		300 या 150			
		150 या 75			

सी	एक्कुरेसी क्लास	0.5 एस	0.5 एस	0.2 एस	0.2 एस
----	-----------------	--------	--------	--------	--------

(ii) तालिका बी का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	33 केवी
	सीटी स्पेशिफिकेशन (सीटी-पीटी सेट के लिये)	
1.	नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज (केवी आरएमएस)	33
2.	उच्चतम सिस्टम वोल्टेज (केवी आरएमएस)	36
3.	संदर्भ मानक	आईएस 3156, अद्यतन संशोधन सहित
4.	मानक सीटी अनुपात (एम्पीयर/एम्पीयर)	200 या 100/1-1 100 या 50/1-1
5.	रेटेड कटीनुअस थर्मल करेंट	निर्धारित प्राथमिक करेंट का 120 प्रतिशत
6.	निर्धारित अल्पकालिक थर्मल प्राथमिक करेंट 1 सेकण्ड के लिए (केए में)	25
7.	सीटी करेक्टरिस्टिक	
ए	निर्धारित प्राथमिक करेंट (एम्पीयर)	200 या 100 100 या 50
बी	निर्धारित द्वितीयक करेंट (एम्पीयर)	1 या 5
सी	एक्कुरेसी क्लास	0.5 एस
डी	अधिकतम इन्स्ट्रुमेंट सुरक्षा फेक्टर (आईएसएफ)	10 से कम
ई	निर्धारित द्वितीयक बर्डन (वीए)	30
8.	इन्सुलेंटिंग आइल हेतु संदर्भ मानक	आईएस 335, अद्यतन संशोधन के साथ

पीटी (सीटी-पीटी सेट हेतु) के स्पेशिफिकेशन

1.	नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज (केवी आरएमएस)	33
2.	उच्चतम सिस्टम वोल्टेज (केवी आरएमएस)	36
3.	संदर्भ मानक	आईएस 3156, अद्यतन संशोधन सहित
	पोर्टेशियल मेजरमेंट डिवाइस हेतु द्वितीयक वाइंडिंग की संख्या	दो

	मानक वोल्टेज अनुपात	33केवी / 3 / 110 / 3
	निर्धारित द्वितीयक बर्डन (वीए) प्रति वाइडिंग	50
	एक्युरेसी क्लास (निर्धारित वीए बर्डन का 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत पर)	0.5 एस
	निर्धारित वोल्टेज घटक एवं अवधि	30 सेकण्ड हेतु 1.5 और निरंतर 1.2

(iii) तालिका सी के क्रमांक 10 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	132 केवी	220 केवी
10	एक्युरेसी क्लास		
	(ए) वाइडिंग- ८	0.2 एस	
	(बी) वाइडिंग- ८	0.2 एस	

(iv) तालिका डी के क्रमांक 07 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	132 केवी	220 केवी
7	एक्युरेसी क्लास		
	(ए) वाइडिंग- ८	3 पी	
	(बी) वाइडिंग- ८	0.2 एस	
	(सी) वाइडिंग- ८	0.2 एस	

(v) तालिका ई के क्रमांक 07 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	33 केवी	11 केवी
	एक्युरेसी क्लास (निर्धारित वीए बर्डन का 10 से 100 प्रतिशत पर)	0.5 एस	0.5 एस
	(ए) वाइडिंग- ८	3 पी	
	(बी) वाइडिंग- ८	0.5 एस	
	(सी) वाइडिंग- ८	0.5 एस	

12. प्रधान संहिता के खण्ड 8.12.2 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :

“ 8.12.2 यदि मुख्य मीटरिंग प्रणाली के साथ जांच मीटरिंग प्रणाली भी डिफेक्टिव हो जाती है तब आउटलेज की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा का आंकलन एसटीयू द्वारा सबस्टेशन के रिकार्ड के आधार पर किया जावेगा, जहां इंजेक्शन या ड्राल होता है। यह अनुज्ञप्तिधारी का कर्तव्य होगा कि वह सामान्यतः एक सप्ताह के भीतर डिफेक्टिव मीटर को बदलना सुनिश्चित करें।”

13. खण्ड 13.2 से लेकर 13.7 तक को पुनर्क्रमांकित कर क्रमशः खण्ड 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 और 13.8 लिखा जावे।

प्रधान संहिता के पुनर्क्रमांकित खण्ड 13.4 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा:

13.4 (ए) अज्ञात परिस्थितियां/दैवीय विपत्ति

किन्हीं कारणों से अज्ञात संकट अथवा दैवीय विपत्ति उपस्थित होने की अवस्था में ग्रिड संहिता के उपबंधों को पालन करने में कोई बाधा आती है तो लाईसेंसी सद्भाव पूर्वक सभी पीड़ित पक्षों से सद्भावना सहित तत्परता से आम सहमति बनाने का प्रयास करेगा, जो भी उस परिस्थिति में यथोचित और व्यावहारिक हो। उपलब्ध सर्वोत्तम समय के भीतर लाईसेंसी व उपयोगकर्ताओं के बीच सहमति न होने की स्थिति में लाईसेंसी, जो उचित समझेगा, करने के लिये स्वतंत्र होगा।”

जब कभी लाईसेंसी ऐसा निर्णय लेगा जो परिस्थिति के अनुसार सर्वोत्तम हो तथा यथासंभव पीड़ित पक्षकारों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण के अनुकूल हो, तब प्रत्येक पक्षकार को लाईसेंसी द्वारा प्रदत्त अनुदेशों का अनिवार्यतः अनुपालन करना होगा, बशर्ते कि अनुदेश लागू संहिता एवं विनियम के प्रतिकूल अथवा विपरीत न हों। लाईसेंसी अविलंब इस तरह के विपत्ति एवं संकट की सूचना और अपने निर्णय की जानकारी आयोग को तत्काल देगा।

(बी) दैवीय विपत्ति: ऐसी घटना, जो अभिकरण के नियंत्रण के बाहर हो, जिसका वह अनुमान न लगा सकता हो और न ही कुछ कर सकता हो अथवा जिसे रोका नहीं जा सकता और जो अभिकरण के वश के बाहर हो और जो काफी हद तक निम्नानुसार हो, परन्तु इसी तक सीमित न हों तथा अभिकरण के कार्य निष्पादन को प्रभावित करे:—

- (ए) दैवीय विपत्ति, प्राकृतिक आपदा, जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप व महामारी भी सम्मिलित है, परन्तु उन तक ही सीमित नहीं,
- (बी) घरेलू अथवा किसी विदेशी सरकार का कृत्य, जिसमें घोषित अथवा अघोषित युद्ध, विद्रोह, प्राथमिकतायें, क्वारेन्टाइन, रूकावटें भी शामिल हैं, परन्तु उन तक ही कदापि सीमित नहीं,
- (सी) दंगा अथवा गृह युद्ध,
- (डी) ग्रिड फेल्यूर, शामिल अभिकरणों के कारण नहीं।

14. उपरोक्त प्रावधान जहां तक वे जनरेटिंग स्टेशन से संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के प्रावधानों से असंगत होने पर भी लागू होंगे।

टीपः— इस विनियम के हिन्दी संस्करण की, अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझाने में अन्तर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

(एन.के. रूपवानी)
सचिव